



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2529]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 2, 2019/श्रावण 11, 1941

No. 2529]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 2, 2019/SHRAVANA 11, 1941

### वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 अगस्त, 2019

**का.आ. 2782(अ).**—केंद्र सरकार आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतदद्वारा कर्नाटक सरकार द्वारा गठित बोर्ड “बैंगलोर वॉटर सप्लाई एवं सीवरेज बोर्ड” बैंगलुरु, (पैन: AAALB0015G) को उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ उस बोर्ड को होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है, नामतः-

- (क) जल प्रभार;
- (ख) सैनेट्री एवं बोरवैल प्रभार;
- (ग) विशेष सैनेट्री प्रभार;
- (घ) मीटर प्रभार;
- (ङ) बल्क वॉटर प्रभार;
- (च) किराया; एवं
- (छ) उपर्युक्त से अर्जित अधिशेष राशि पर ब्याज

2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अध्यधीन प्रभावी होगी कि बैंगलोर वॉटर सप्लाई एवं सीवरेज बोर्ड, बैंगलुरु:-

- (क) किसी भी वाणिज्यिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा;
- (ख) विनिर्दिष्ट आय की प्रकृति तथा गतिविधियां पूरे वित्त वर्ष के दौरान अपरिवर्तित रहेगी; तथा

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा – 4(ग) के खंड (छ) के प्रावधान के अनुसार आय की विवरणी दायर करेगा।

3. यह अधिसूचना कर निर्धारण वर्ष 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 और 2024-25 के संबंध में लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 56 /2019/फा. सं. 300196/67/2018-आईटीए-I]

राजाराजेश्वरी आर., अवर सचिव

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd August, 2019

**S.O. 2782(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, ‘Bangalore Water Supply and Sewerage Board’, Bengaluru (PAN AAALB0015G) a Board constituted by the Government of Karnataka, in respect of the following specified income arising to that Board, namely:-

- (a) Water Charges;
- (b) Sanitary and Borewell Charges;
- (c) Special Sanitary Charges;
- (d) Meter Charge;
- (e) Bulk Water Charges;
- (f) Rent; and
- (g) Interest on surplus amount earned out of the above.

2. This notification shall be effective subject to the conditions that Bangalore Water Supply and Sewerage Board, Bengaluru,-

- (a) shall not engage in any commercial activity;
- (b) activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial years; and
- (c) shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.

3. This notification shall apply with respect to the assessment year 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 and 2024-2025.

[Notification No. 56 /2019/F.No. 300196/67/2018-ITA-I]

RAJARAJESWARI R., Under Secy.